



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹22,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०- 385/2019 धारा-376(3),506 भा०द०सं० व 04 पाँक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.लखन सैनी उर्फ लाला पुत्र केसर सैनी उर्फ किशोरचन्द्र सैनी नि० मुहाल फरसौलियाना कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹22,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री अवधनरेश
चन्देल



विवेचक-
उ०नि० श्री ललित
कुमार त्रिपाठी



पैरोकार- थाना राठ
का० प्रदीप भार्गव